न्यायालय संभागीय आयुक्त, अजमेर

(निर्णय बईजलास डॉ0 वीना प्रधान, आई.ए.एस संभागीय आयुक्त, अजमेर)

क्रमांक : अपील विस्फो0 अनु0 01/2015/अजमेर (2015/00111)

राजेश खण्डेलवाल पुत्र श्री प्रेमप्रकाश खण्डेलवाल, निवासी कवंडसपुरा अजमेर।

अपीलार्थी

बनाम

जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, अजमेर।

प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 6–च विस्फोटक नियम 1884 सपठित धारा 121 विस्फोटक नियम 2008 विरूद्ध आदेश जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, अजमेर के आदेश क्रमांक कअ/न्याय/विस्फोटक/2015/32 दिनांक 03–3–2015

उपस्थितः 1– श्री लेखू मंघानी अभिभाषक अपीलार्थी
2– श्री राजेश टण्डन, राजकीय अभिभाषक प्रत्यर्थी

निर्णय

दिनांक : 26-10-2021

अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि जिला मजिस्ट्रेट, अजमेर ने अपीलार्थी के नाम आतिशबाजी क्रय विक्रय करने हेतु विस्फोटक नियमों के अन्तर्गत फार्म 24 में स्थाई अनुज्ञा पत्र संख्या 13/1997 स्थल कवंडसपुरा मदारगेट, अजमेर के लिए जारी किया गया था। जिला मजिस्ट्रेट, अजमेर द्वारा अपीलार्थी को जारी अनुज्ञा पत्र का नवीनीकरण 1997 से लगातार किया जा रहा था। अपीलार्थी ने दिनांक 1–4–2014 से 31–3–2019 तक की अवधि के लिए उक्त अनुज्ञापत्र का नवीनीकरण कराने के लिए जिला मजिस्ट्रेट, अजमेर के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत किया। जिला मजिस्ट्रेट, अजमेर ने उक्त आवेदन पत्र पर

Scanned with CamScanner

पुलिस अधीक्षक, अजमेर व उपजिला मजिस्ट्रेट, अजमेर से जांच रिपोर्ट प्राप्त की। पुलिस अधीक्षक, अजमेर ने उनके कार्यालय के पत्र क्रमांक 6979 दिनांक 25–4–2014 व उपजिला मजिस्ट्रेट, अजमेर ने पत्र क्रमांक 4978 दिनांक 13–11–2014 के द्वारा अपनी जांच रिपोर्ट प्रेषित की। जिला मजिस्ट्रेट, अजमेर ने जिला पुलिस अधीक्षक, अजमेर व उपजिला मजिस्ट्रेट, अजमेर की रिपोर्ट को मध्यनजर रखते हुए दिनांक 03–3–2015 को आदेश पारित कर अपीलार्थी के नाम जारी स्थाई आतिशबाजी अनुज्ञा पत्र संख्या 13/1997 को निरस्त करने के आदेश पारित कर दिये। आदेश से व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किये तथा संबंधित अभिलेख तलब किया गया। दोनों पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

अपीलार्थी अधिवक्ता का दौराने बहस यह तर्क है कि विस्फोटक नियम 2008 के नियम 116 में अनुज्ञा पत्र के नवीनीकरण से इन्कार किये जाने के लिए प्रकिया निर्धारित की गई है जिसमें उल्लेखानुसार "किसी अनुज्ञप्ति के संशोधन या नवीनीकरण से इन्कार करने वाले अनुज्ञज्ञपन प्राधिकारी ऐसे इन्कार करने के कारणों को लेख्बद्ध करेगा तथा अनुज्ञापन अधिकारी किसी अनुज्ञप्ति के नवीनीकरण से इन्कार करेगा यदि ऐसी अनुज्ञप्ति अधिनियम या इन नियमों के अनुसार प्रतिसंहत की जा सकती है। किसी अनुज्ञप्ति के नवीनीकरण से इन्कार करने के कारणों का संक्षिप्त कथन मांग किये जाने पर अनुज्ञप्तिधारी को दिया जायेगा किन्तु ऐसी मामलों में नहीं, जबकि अनुज्ञापन अधिकारी की यह राय हो कि ऐसे कथन प्रस्तुत किया जाना लोकहित में नहीं होगा। जहां अनुज्ञप्तिधारी के नवीनीकरण से इन्कार कर दिया जाता है तो वही नवीनीकरण के लिए संदत फीस अनुज्ञप्तिधारी को उस अवधि के लिए अनुपातिक फीस काट देने के पश्चात लौटा दी जावेगी जो उस तारीख तक की है जिसको उसके नवीनीकरण से इन्कार किया गया है। उक्त नियम के अधीन अनुज्ञप्ति के नवीनीकरण से इन्कार करने से पूर्व अनुज्ञप्तिधारी को सुने जाने का एक अवसर दिया जायेगा। जिला मजिस्ट्रेट, अजमेर ने नियम 116 में दी गई प्रकिया की पालना किये बिना ही अपीलार्थी का स्थाई अनुज्ञापत्र निरस्त करने से पूर्व अपीलार्थी को सुनवाइ का अवसर प्रदान ही नहीं दिया गया है।

उनका यह भी कथन है कि विस्फोटक नियम 2008 के नियम 118 में केवल निम्न आधारों पर ही स्थाई अनुज्ञा पत्र को निरस्त किया जा सकता है:–

"अनुज्ञप्ति का निलंबन और प्रतिसंहरण या रद्दकरण– (1) इन नियमों के अधीन अनुदत्त प्रत्येक अनुज्ञप्ति रद्द हो जायेगी यदि (क) किसी अुज्ञप्तिधारी का अनुज्ञप्त परिसरों पर विधिपूर्ण कब्जे का कोई अधिकार समाप्त हो चुका है। (ख) कोई अनुज्ञप्तिधारी किन्ही दाण्डिक अपराधों के अधीन सिद्धदोष या दण्डादिष्ट

Scanned with CamScanner

किया गया है या दण्ड प्रकिया संहिता 1973 (1974 का 2) के अध्याय 8 के अधीन अच्छे व्यवहार के लिए परिशांति कायम रखने के लिए किसी बंधपत्र का निष्पादन करने के लिए आदेशित किया गया हो, रद्द हो जायेगी। यदि कोई निराक्षेप प्रमाण पत्र नियम 115 के अनुसार ऐसे प्राधिकारी द्वारा जिसने उसे जारी किया था या जिला मजिस्ट्रेट या राज्य सरकार द्वारा रद्द किया गया है। इस अधिनियम या इन नियमों या ऐसी अनुज्ञप्ति में अंतर्विष्ट किसी शर्त के किसी उल्लंघन पर अनुज्ञप्तिधारी प्राधिकारी के किसी आदेश द्वारा या केन्द्र सरकार के आदेश द्वारा यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि ऐसा करने के लिए समुचित आधार है तो निलंबन या रद्करण किये जाने के लिए दायी होगा। कोई निलंबन या रद्दकरण उसमें विनिर्दिष्ट तारीख से प्रभावी होगा। किसी अनुज्ञप्ति के निलंबन या रद्दकरण के किसी आदेश का तामील होना समझा जावेगा यदि वह अनुज्ञपित में प्रविष्टि अनुज्ञप्तिधारी के पते पर डाक द्वारा भेजा गया है। अपीलार्थी का परिसर कवंडसपुरा, मदारगेट, अजमेर में स्थित है जिस पर अपीलार्थी को आतिशबाजी बेचने का स्थाई अनुज्ञापत्र मिला हुआ है। अपलार्थी का उक्त परिसर पर आज भी विधिपूर्ण कब्जा है।

अपीलार्थी को दण्डित अपराधों के लिए कभी भी सिद्धदोष या दण्डादिष्ट नहीं किया गया है तथा ना ही अच्छे व्यवहार के लिए किसी बंधपत्र का निष्पादन करने के लिए आदेशित किया गया है। अपीलार्थी ने अनुज्ञापत्र के लिए वर्णित किसी भी शर्त का उल्लंघन नहीं किया है एवं ना ही जिला मजिस्ट्रेट, अजमेर के किसी आदेश/निर्देश का उल्लंघन ही किया है।

अपलार्थी के विद्वान अभिभाषक का यह भी तर्क है कि जिला मजिस्ट्रेट, अजमेर द्वारा पारित किये गये आदेश का अवलोकन यह दर्शाता है कि प्रार्थी द्वारा फाईल किये गये आवेदन की अस्वीकृति के लिए एक मात्र कारण यह है कि पुलिस अधीक्षक ने अनुज्ञप्ति जारी करने की अनुशंषा जारी नहीं की। अनुज्ञप्ति के लिए प्रत्येक आवेदन आवश्यक रूप से स्वयं अपने मैरिट पर निर्धारित किया जाना होता है। अपीलार्थी को उक्त परिसर में आतिशबाजी का विक्रय करने के लिए वर्ष 1997 से स्थाई अनुज्ञापत्र जारी किया गया है जिसकी अक्षरश पालना की जा रही है और इन परिस्थितियों के आधार पर वर्ष 1997 से लगातार स्थाई अनुज्ञापत्र का नवीनीकरण होता आ रहा है। पूर्व की परिस्थितियों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। जिला पुलिस अधीक्षक अजमेर एवं उपजिला मजिस्ट्रेट, अजमेर ने अपनी रिपोर्ट में जो परिसर की स्थिति का उल्लेख किया है वह स्थिति वर्ष 1997 में भी वहीं थी उसके पश्चात लगातार अनुज्ञापत्र नवीनीकरण के वक्त भी स्थिति वहीं है और कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। पुलिस लाईन चौराहा काफी खुला एवं विस्तृत क्षैत्र है।

उनका यह भी तर्क है कि अपीलार्थी के नाम जो स्थाई अनुज्ञा पत्र क्रमांक 13/97/एजेएम/97 जारी किया गया है उसमें समय–समय पर विस्फोटक अधिनियम एव नियमों में किये गये संशोधनों व विद्यमान प्रावधानों की अवहेलना

Scanned with CamScanner

करने पर अनुज्ञापत्र को निरस्त व निलंबित किया जा सकता है। इसी अनुज्ञापत्र के पीछे शर्त अंकित है इन शर्तो का उल्लघंन करने पर भी अनुज्ञा पत्र को निरस्त किया जा सकता है। अपीलार्थी ने विस्फोटक अधिनियम 1884 एवं विस्फोटकनियम 2008 के किसी भी प्रावधानों एवं शर्तो का कोई उल्लंघन नहीं किया है। जिला पुलिस अधीक्षक, अजमेर ने अपनी रिपोर्ट दिनांक 28–4–2014 में आस–पास के चाय व हलवाई के दुकानदारों पर गैस सिलेण्डर का उपयोग करने के आधार पर आतिशबाजी अनुज्ञा पत्र नवीनीकरण नहीं करने की अनुशंषा की है। नियमों के तहत जिला पुलिस अधीक्षक, अजमेर से रिपोर्ट मांग कर और उसके आधार पर निर्णय पारित करने की व्यवस्था नहीं है। जिला पुलिस अधीक्षक, अजमेर ने जिला मजिस्ट्रेट, अजमेर को अनुज्ञापत्र नवीनीकरण नहीं करने की अनुशंषा कर दी। विस्फोटक नियम 2008 में जिला पुलिस अधीक्षक को इस प्रकार अनुज्ञा पत्र नवीनीकरण नहीं करने की अभिशंषा करने का कोई अधिकार नहीं है।

उनका यह भी कथन है कि जिला मजिस्ट्रेट, अजमेर ने अपीलाधीन आदेश में नियमों/मापदण्डों की पूर्ति नहीं होने व जन सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए अपीलार्थी को जारी स्थाई अनुज्ञापत्र निरस्त किया है। जिला मजिस्ट्रेट ने अपने आदेश में उन नियमों व मापदण्डों का उल्लेख नहीं किया है जिसकी पूर्ति अपीलार्थी द्वारा नहीं की गई है। उन्होंने अपने निर्णय में यह भी अंकित नहीं किया कि अपीलार्थी के मामले में जन सुरक्षा को कैसे खतरा है? अपीलार्थी को जिस स्थल के लिए अनुज्ञापत्र दिया गया है उस स्थल की परिस्थितियां पिछले 20 वर्षो से समान रही है उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। दीपावली के त्यौहार पर कवंडसपुरा मदारगेट, अजमेर के साथ–साथ इससे भी सकड़ी गलियों में विस्फोटक पदार्थो का बेचान किया जाता है व इसके लिए अनुज्ञा पत्र दिये जाते है। अपीलार्थी भी दीपावली के त्यौहार पर ही विस्फोटक पदार्थो का भण्डारण व बेचान करता है। ऐसी स्थिति में केवल अपीलार्थी के अनुज्ञापत्र को निरस्त करना विधिसम्मत नहीं है।

अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक की उक्त बहस का जवाब देते हुए विद्वान प्रत्यर्थी/राजकीय अधिवक्ता ने कथन किया कि राजस्थान सरकार के द्वारा समय–समय पर जारी दिशा निर्देशों के तहत ही दीपावली पर्व पर पटाखा व्यवसायियों को पटाखे का क्रय–विक्रय करने हेतु संबंधित जिला पुलि अधीक्षक, उपखण्ड मजिस्ट्रेट व पुलिस थाना, की रिपोर्टो के आधार पर विस्फोटक अधिनियम 2008 के तहत ही स्थाई एवं अस्थाई विस्फोटक लाईसेंस जारी किया जाता है। अपीलार्थी के उक्त प्रकरण में जिला पुलिस अधीक्षक, अजमेर की जांच रिपोर्ट क्रमांक 6979 दिनांक 25–4–2014 एवं उपजिला मजिस्ट्रेट, अजमेर की जांच रिपोर्ट पत्र क्रमांक 4978 दिनांक 13–11–2014 द्वारा अपनी जांच रिपोर्ट में प्रस्तावित स्थल को विस्फोटक नियमों के अन्तर्गत जन सुरक्षा व निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप नहीं पाया जाने से अनुज्ञा पत्र को आगामी अवधि हेतु नवीनीकरण किये जाने में असहमति व्यक्त की है। उक्त रिपोर्ट को दृष्टिगत रखते हुए कवंडसपुरा, मदारगेट, पर अत्यधिक भीड़ होने एवं अनहोनी की संभावना को

Scanned with CamScanner

मध्यनजर रखते हुए जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, अजमेर द्वारा अपने आदेश कमांक कअ/न्याय/विस्फोटक/2015/32/दिनांक 03–03–2015 द्वारा अपीलार्थी के स्थाई अनुज्ञापत्र संख्या 13/1997 को आगामी अवधि के लिए नवीनीकरण करने हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र निरस्त किया है जो सुरक्षा की दृष्टि से उचित एवं विधिसम्मत है। अतः अपीलार्थी की अपील सारहीन एवं तथ्यहीन होने से निरस्त किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

मैने दोनों पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर गंभीरतापूर्वक मनन किया तथा सम्बन्धित अभिलेख का गहनता से अध्ययन किया जिससे हमारे समक्ष यह तथ्य स्पष्ट होते है कि जिला मजिस्ट्रेट, अजमेर द्वारा अपीलार्थी के नाम आतिशबाजी कय विकय करने हेतु विस्फोटक नियमों के अन्तर्गत फार्म 24 में स्थाई अनुज्ञा पत्र संख्या 13/1997 स्थल कवंडसपुरा, मदारगेट अजमेर के लिए जारी किया गया था। जिला मजिस्ट्रेट, अजमेर द्वारा अपीलार्थी को जारी अनुज्ञा पत्र का नवीनीकरण 1997 से लगातार किया जा रहा था। अपीलार्थी के द्वारा आगामी अवधि 1–4–2014 से 31–3–2019 तक नवीनीकरण कराये जाने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया था। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र पर जिला मजिस्ट्रेट, अजमेर ने जिला पुलिस अधीक्षक, अजमेर व उपजिला मजिस्ट्रेट, अजमेर से जांच रिपोर्ट चाही गई। जिला पुलिस अधीक्षक, अजमेर की जांच रिपोर्ट कमांक 6979 दिनांक 25–4–2014 एवं उपजिला मजिस्ट्रेट, अजमेर की जांच रिपोर्ट पत्र कमांक 4978 दिनांक 13–11–2014 द्वारा अपनी जांच रिपोर्ट में प्रस्तावित स्थल को विस्फोटक नियमों के अन्तर्गत जन सुरक्षा व निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप नहीं पाया जाने से अनुज्ञा पत्र को आगामी अवधि हेतु नवीनीकरण नहीं किये जाने में असहमति व्यक्त की है। प्रस्तावित स्थल पर उपलब्ध अग्निशमन यंत्र अनहोनी या आगजनी होने पर विस्फोटक को रोकने में सक्षम नहीं है। उक्त तथ्यों के आधार पर आगामी अवधि के लिए नवीनीकरण नहीं करने की अनुशंषा की गई है।

यहां यह उल्लेखनीय है कि जिला पुलिस अधीक्षक, अजमेर व उपजिला मजिस्ट्रेट, अजमेर ने अपनी जांच रिपोर्ट में उल्लेखित किया है कि अपीलार्थी श्री राजेश कुमार की दुकान कवंडसपुरा अजमेर में स्थित है। वर्तमान में उक्त दुकान खण्डेलवाल स्पेशल सोडा पफ के नाम से मुख्य बाजार कवंडसपुरा अजमेर में है, जिसमें सोडा बेचा जा रहा है। दुकान 10X8 फीट की है जिसके पास उत्तर दिशा में श्री गोपाल खण्डेलवाल की चाय की दुकान है जिसमे चाय बनाने के लिए गैस सिलेण्डर का प्रयोग किया जा रहा है। चाय की दुकान से थोड़ी दूर पर खण्डेलवाल स्वीट की दुकान है जहां पर भी मिठाईयां बनाने के लिए गैस सिलेण्डर का प्रयोग होता है। आवेदक की दुकान की दक्षिण दिशा में एडी इलेक्ट्रोनिक की दुकान है। दुकान के सामने रोड कॉस करने पर गुप्ता चाट भण्डार है, जिसमें गैस सिलेण्डर का प्रयोग किया जाता है। इन आधारों पर स्थायी आतिशबाजी अनुज्ञा पत्र नवीनीकरण नहीं करने की अनुशंषा की गई हैं ।

Scanned with CamScanner

यहां यह भी उल्लेखनीय है कि विस्फोटक नियम 2008 के नियम 118 अनुसार अनुज्ञापन अधिकारी अनुज्ञप्तिधारी का अनुज्ञापत्र तब ही निरस्त कर सकता है जब उसका अनुज्ञप्ति में धारित कब्जे पर अधिकार समाप्त हो चुका हो, या अनुज्ञप्तिधारी को पुलिस विभाग द्वारा आपराधिक कृत्य करने पर दण्ड दिया गया हो या लोक शांति भंग करने का प्रयास किया गया हो या अनुज्ञप्तिधारी द्वारा विस्फोटक अधिनियम की किसी भी शर्त का उल्लंघन किया गया हो। उक्त तथ्यों के आधार पर ही अनुज्ञप्तिधारी का अनुज्ञापत्र निरस्त किया जा सकता है। पत्रावली के अवलोकन से कहीं भी परिलक्षित नहीं होता है कि अपीलार्थी को कभी आपराधिक कृत्य के लिए दण्ड दिया गया है और न ही अपीलार्थी द्वारा विस्फोटक नियमों के अन्तग्रत किसी भी शर्त का उल्लंघन ही किया है। अपीलार्थी द्वारा जब विस्फोटक अधिनियम 1884 एवं विस्फोटक नियम 2008 की किसी भी शर्त का उल्लंघन ही नहीं किया है । जिला मजिस्ट्रेट, अजमेर द्वारा वर्ष 1997 से वर्ष 2014 तक लगातार हो रहे अपीलार्थी अनुज्ञप्ति संख्या 13/1997 का आतिशबाजी विक्रय करने का स्थाई अनुज्ञा पत्र केवल पुलिस अधीक्षक एवं उपजिला मजिस्ट्रेट, अजमेर की रिपोर्ट को आधार मानकर निरस्त करना न्यायोचित नहीं है। जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा अन्य सभी विभागों से प्राप्त की गई रिपोर्ट के आधार पर समग्र रूप से विवेचन उपरान्त आख्यात्मक आदेश (Speaking order) पारित किया जाना चाहिए था जो नहीं किया गया है। अतएव ऐसी स्थिति में जिला मजिस्ट्रेट, अजमेर द्वारा पारित आदेश दिनांक 03–03–2015 विधिसम्मत नहीं होने से निरस्त योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपीलार्थी की अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय (जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट) अजमेर का आदेश क्रमांक कअ/न्याय/विस्फोटक/2015/32 दिनांक 03–03–2015 विधिसम्मत नहीं होने से निरस्त किया जाता है और प्रकरण उन्हें इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे अपीलार्थी को विधिवत सुनवाई व साक्ष्य का समुचित का अवसर प्रदान करे तथा जिला पुलिस अधीक्षक, नगर निगम उपजिला मजिस्ट्रेट, तहसीलदार अजमेर से अपीलार्थी के प्रस्तावित मौका स्थल की वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए पुनः मौका रिपोर्ट प्राप्त कर उसका भलीभांति अध्ययन कर नये सिरे से विधिसम्मत निर्णय पारित करे।

(डॉ0 वीना प्रधान)
संभागीय आयुक्त,
अजमेर

Scanned with CamScanner